




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

राजेश रागंडल (पात) वगैरे बनाम शिवनारायण उर्फ शिवशेक (मुण्ड) वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....114.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०-32/17 दिनांक-26/7/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीनी विवाद की लैक उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>11/09/17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div> <p align="center"><u>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अडुपावित</u></p> <p align="center"><u>दिनांक 06-10-17 को रखे।</u></p> <div style="text-align: right;">               11/09/17         </div>	

11-09-17

23-04-18

आभिलेख उपस्थापित | प्रथम पत्र  
अनुपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01, 04  
उपस्थित अन्य अनुपस्थित | समय पत्र  
जवाब दारिजल कर। दिनांक 07-05-18  
की शर्त।

4  
23/4/18

07-05-18

21-05-18

आभिलेख उपस्थापित | प्रथम पत्र  
अनुपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थित  
अन्य अनुपस्थित | उक्त वाद में 6 (छः)  
माह की अवधि पूरी हो चुकी है।  
अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।  
अतः वाद में आभिलेख की कार्यवाही  
बन्द की जाती है।

4  
21/5/18